

## कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी

// आदेश //

क. 384 / दो-11-01/02


कटनी दिनांक:- 21-08-2024

प्रशासनिक कार्य व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से, निम्न विवरण अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारी का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

कं.	कर्मचारी का नाम	कहां से (न्यायालय/अनुभाग)	कहां को (न्यायालय/अनुभाग)	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री शक्ति संजय सिंह, सहायक ग्रेड-2	अंतरमण्डलीय स्थानांतरण से	सिविल प्रस्तुतकार न्यायालय-श्री रमाकांत भारके, व्य. न्या. वरि.खण्ड ढीमरखेडा	श्री रामरजक के स्थान पर
2	श्री रामकुमार रजक सहायक ग्रेड-2	सिविल प्रस्तुतकार न्यायालय-श्री रमाकांत भारके, व्य. न्या. वरि.खण्ड ढीमरखेडा	सिविल प्रस्तुतकार न्यायालय-श्री मुकेश नाथ, प्रथम जिला न्यायाधीश कटनी	श्री कृष्णकांत के स्थान पर
3	श्री राहुल बागडे, स्टेनो ग्रेड-2	स्टेनो ग्रेड-2 न्या-श्रीमती निधि जैन, तृतीय व्य. न्याया. वरिष्ठखण्ड कटनी	स्टेनो ग्रेड-2 न्या. श्रीमती सृष्टि दुबे, नवम व्य.न्या. कनिष्ठखण्ड कटनी	-
4	श्री मनोज कुमार रैकवार, सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-3 न्या-श्रीमती निधि जैन, तृतीय व्य. न्याया. वरिष्ठखण्ड कटनी	अभिलेखागार कटनी	अटैच
5	श्री नितेश विनोदिया, सहायक ग्रेड-3	साक्ष्य लेखक न्या-श्रीमती निधि जैन, तृतीय व्य. न्याया. वरिष्ठखण्ड कटनी	अभिलेखागार कटनी	अटैच
6	श्रीमती सुकीर्ति गुप्ता, सहायक ग्रेड-3	सिविल प्रस्तुतकार न्या-श्रीमती निधि जैन, तृतीय व्य. न्याया. वरिष्ठखण्ड कटनी	अभिलेखागार कटनी	अटैच
7	श्रीमती पूजा चौरसिया, सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोईग)	इंग्लिश नोईग न्या-श्री राजेन्द्र शर्मा, विशेष न्यायाधीश कटनी	अभिलेखागार कटनी	अटैच

**नोट-** न्यायालय श्रीमती निधि जैन, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखण्ड कटनी में पदस्थ सिविल प्रस्तुतकार, स्टेनोग्राफर, साक्ष्य लेखक अपना समस्त चार्ज दांडिक प्रस्तुतकार श्री मुकेश बेन को सौंपा जाना सुनिश्चित करें।


उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

  
 ( धरमिन्दर सिंह राठौड़ )  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कटनी म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/२१८१/दो-११-०१/०२  
प्रतिलिपि :-

कटनी दिनांक २१-०८-२५

1. कॉलम क्रं. ३ में अंकित न्यायिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ पदस्थ कर्मचारी को तत्काल भारमुक्त करें।
2. संबंधित कर्मचारी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह तत्काल अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन पेश करे।
3. लेखापाल/सहायक लेखापाल/जिला नाजिर/वेतन लिपिक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म.प्र.